



# बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाइट : bsea.bihar.gov.in

पटना/दिनांक 02/08/2022

## अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा० नि० 1-13/2022 **1462** चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा अनुलग्नक-1 में अंकित 67 (सरसठ) व्यापार मंडल सहयोग समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा अनुलग्नक-2 में अंकित समितियों के उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान हेतु दिनांक **03.09.2022 (शनिवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-**1248** दिनांक **12.07.2022** से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक **30.06.2022** निर्धारित की गयी है, तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक **03.08.2022** को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाना निर्धारित है।

4. अनुलग्नक-1 में अंकित समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र- 1 में सूचना का प्रकाशन	06.08.2022 (शनिवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	22.08.2022 (सोमवार) एवं 23.08.2022 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	24.08.2022 (बुधवार) एवं 25.08.2022 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	27.08.2022 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	03.09.2022 (शनिवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	03.09.2022 (शनिवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	05.09.2022 (सोमवार)

5. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र-1 में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना दिनांक 06.08.2022 (शनिवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

6. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्ट नहीं की जायगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा:-

क्र०	सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय	प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात्	प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या, को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा), को प्रविष्ट करना है।
iv.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूचना (प्रपत्र ई0 18 से संबंधित), को प्रविष्ट करना एवं तदोपरान्त डाउनलोड Pdf का Black and White mode में स्कैन कर निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ प्राधिकार के ई-मेल <a href="mailto:bseapatna@gmail.com">bseapatna@gmail.com</a> पर भेजना है।
v.	मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्र-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना है।

7. प्रपत्र-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।

8. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) को प्राधिकार के वेबसाइट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। इससे संबंधित प्राधिकार के पत्रांक 469 दिनांक 25.02.2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

9. निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-5 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के हस्तपुस्तिका में वर्णित प्रपत्र-ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

10. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा 700 मतदाताओं के वजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने के निर्णय को संशोधित करते हुए पूर्व की भांति 700 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया है। मतदान के समय भीड़-भाड़ से बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक किया गया है। इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

11. समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 06.08.2022 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 06.08.2022 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।

12. कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिवद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/ साबून पानी से साफ किये जाने आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जायगी। हैंड सेनिटाईजेशन/ साबून पानी से हाथ साफ कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कर्मी की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का आवंटन किया जायेगा।

13. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 05.09.2022 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित

अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 122-129 पर देखे जा सकते हैं।

अनुलग्नक: यथोक्त।

  
(पुरूषोत्तम पासवान)  
सचिव।

ज्ञापांक : 1462

पटना/ दिनांक 02/08/2022

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

  
सचिव।

ज्ञापांक : 1462

पटना/ दिनांक 02/08/2022

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०)/ संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/ संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि प्राधिकार के पत्रांक 942 दिनांक 25.09.2017 के आलोक में व्यापार मंडल सहयोग समितियों के निर्वाचन में पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी सुनिश्चित करेंगे। उक्त पत्र प्राधिकार के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

3. संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को सूचित किया जाता है कि व्यापार मंडल निर्वाचन के संचालन हेतु प्राधिकार के पत्रांक 688 दिनांक 04.08.2017 द्वारा दिये गये अनुदेश यथा संशोधनों के साथ (Mutatis Mutandis) लागू होंगे। यह अनुदेश प्राधिकार के वेबसाईट [www.bsea.bih.nic.in](http://www.bsea.bih.nic.in) पर उपलब्ध है।

  
सचिव।

ज्ञापांक : 1462

पटना/ दिनांक 02/08/2022


प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

  
सचिव।

ज्ञापांक : 1462

पटना/ दिनांक 02/08/2022

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
सचिव।

ज्ञापांक : 1462

पटना/ दिनांक 02/08/2022

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा-2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूप बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

  
सचिव।

## निर्वाचन क्षेत्र व्यापार मंडल सहकारी समितियों की सूची।

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	सहकारी समितियों का नाम
1	2	3	4
1	भोजपुर	आरा	आरा व्यापार मंडल स०स०लि०
2	भोजपुर	बड़हरा	बड़हरा व्यापार मंडल स०स०लि०
3	भोजपुर	कोईलवर	कोईलवर व्यापार मंडल स०स०लि०
4	भोजपुर	उदवन्तनगर	उदवन्तनगर व्यापार मंडल स०स०लि०
5	भोजपुर	सहार	सहार व्यापार मंडल स०स०लि०
6	भोजपुर	पीरो	पीरो व्यापार मंडल स०स०लि०
7	भोजपुर	तरारी	तरारी व्यापार मंडल स०स०लि०
8	भोजपुर	बिहियाँ	बिहियाँ व्यापार मंडल स०स०लि०
9	भोजपुर	शाहपुर	शाहपुर व्यापार मंडल स०स०लि०
10	भोजपुर	गड़हनी	गड़हनी व्यापार मंडल स०स०लि०
11	सिवान	हुसेनगंज	हुसेनगंज व्यापार मंडल स०स०लि०
12	सिवान	जीरादेई	जीरादेई व्यापार मंडल स०स०लि०
13	सिवान	दरौली	दरौली व्यापार मंडल स०स०लि०
14	सिवान	बसंतपुर	बसंतपुर व्यापार मंडल स०स०लि०
15	सिवान	महराजगंज	महराजगंज व्यापार मंडल स०स०लि०
16	सिवान	बड़हरिया	बड़हरिया व्यापार मंडल स०स०लि०
17	सिवान	मेरवा	मेरवा व्यापार मंडल स०स०लि०
18	सिवान	सिसवन	सिसवन व्यापार मंडल स०स०लि०
19	सिवान	आंदर	आंदर व्यापार मंडल स०स०लि०
20	सिवान	रघुनाथपुर	रघुनाथपुर व्यापार मंडल स०स०लि०
21	सिवान	हसनपुरा	हसनपुरा व्यापार मंडल स०स०लि०
22	सिवान	सिवान	सिवान व्यापार मंडल स०स०लि०
23	भागलपुर	रंगराचौक	रंगरा चौक व्यापार मंडल स०स०लि०
24	मुजफ्फरपुर	कटरा	कटरा व्यापार मंडल स०स०लि०
25	मुजफ्फरपुर	साहेबगंज	साहेबगंज व्यापार मंडल स०स०लि०
26	मुजफ्फरपुर	बंदरा	बंदरा व्यापार मंडल स०स०लि०
27	मुजफ्फरपुर	मुरौल	मुरौल व्यापार मंडल स०स०लि०
28	मुजफ्फरपुर	गायघाट	गायघाट व्यापार मंडल स०स०लि०
29	मुजफ्फरपुर	मीनापुर	मीनापुर व्यापार मंडल स०स०लि०
30	मुजफ्फरपुर	कांटी	कांटी व्यापार मंडल स०स०लि०
31	मुजफ्फरपुर	मोतीपुर	मोतीपुर व्यापार मंडल स०स०लि०
32	रोहतास	सासाराम	सासाराम व्यापार मंडल स०स०लि०

33	रोहतास	चेनारी	चेनारी व्यापार मंडल स०स०लि०
34	रोहतास	डिहरी	डिहरी व्यापार मंडल स०स०लि०
35	रोहतास	नौहट्टा	नौहट्टा व्यापार मंडल स०स०लि०
36	रोहतास	रोहतास	रोहतास व्यापार मंडल स०स०लि०
37	रोहतास	नासरीगंज	नासरीगंज व्यापार मंडल स०स०लि०
38	रोहतास	दावथ	दावथ व्यापार मंडल स०स०लि०
39	रोहतास	शिवसागर	शिवसागर व्यापार मंडल स०स०लि०
40	कैमूर	चैनपुर	चैनपुर व्यापार मंडल स०स०लि०
41	कैमूर	रामगढ	रामगढ व्यापार मंडल स०स०लि०
42	कैमूर	कुदरा	कुदरा व्यापार मंडल स०स०लि०
43	कैमूर	भभुआ	भभुआ व्यापार मंडल स०स०लि०
44	कैमूर	अधौरा	अधौरा व्यापार मंडल स०स०लि०
45	कैमूर	दुर्गावती	दुर्गावती व्यापार मंडल स०स०लि०
46	जहानाबाद	जहानाबाद	जहानाबाद व्यापार मंडल स०स०लि०
47	जहानाबाद	काको	काको व्यापार मंडल स०स०लि०
48	जहानाबाद	मखदुमपुर	मखदुमपुर व्यापार मंडल स०स०लि०
49	जहानाबाद	घोषी	घोषी व्यापार मंडल स०स०लि०
50	सारण	एकमा	एकमा व्यापार मंडल स०स०लि०
51	सारण	पानापुर	पानापुर व्यापार मंडल स०स०लि०
52	सारण	रिविलगंज	रिविलगंज व्यापार मंडल स०स०लि०
53	सारण	छपरा	छपरा व्यापार मंडल स०स०लि०
54	सारण	अमनौर	अमनौर व्यापार मंडल स०स०लि०
55	सारण	सोनपुर	सोनपुर व्यापार मंडल स०स०लि०
56	सारण	तरैया	तरैया व्यापार मंडल स०स०लि०
57	सारण	मढौरा	मढौरा व्यापार मंडल स०स०लि०
58	बक्सर	बक्सर	बक्सर व्यापार मंडल स०स०लि०
59	बक्सर	इटाही	इटाही व्यापार मंडल स०स०लि०
60	बक्सर	डुमराँव	डुमराँव व्यापार मंडल स०स०लि०
61	बक्सर	नावानगर	नावानगर व्यापार मंडल स०स०लि०
62	बक्सर	सिमरी	सिमरी व्यापार मंडल स०स०लि०
63	बक्सर	चौसा	चौसा व्यापार मंडल स०स०लि०
64	अरवल	अरवल	अरवल व्यापार मंडल स०स०लि०
65	अरवल	कुर्था	कुर्था व्यापार मंडल स०स०लि०
66	अरवल	करपी	किंजर व्यापार मंडल स०स०लि०
67	पूर्वी चम्पारण	पताही	पताही व्यापार मंडल स०स०लि०